न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी ममता कुमारी तिवारी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2018 / 00118 दायरा दिनांक : 06.04.2018

उनवान

1. श्रीमती नन्दू बाई पुत्री बसनी बाई एवं भाग चन्द पत्नि रामकरण, जाति कहार, निवासी नौलाव हाल मुकाम मण्डावर, तहसील झालरापाटन हाल असनावर, जिला झालावाड़ राज0
2. रामप्रसाद पुत्र बसनी बाई एवं भाग चन्द, जाति कहार, निवासी नौलाव, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़ राज0 मृतक

 2/1 रामकन्या बाई पत्नि रामप्रसाद, जाति कहार, निवासी नौलाव, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़ राज0

 2/2 नरेश पुत्र रामप्रसाद, जाति कहार, निवासी नौलाव, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़ राज0

 2/3 सुमित्रा पुत्री रामप्रसाद पत्नि रामचरण, जाति कहार, निवासी संजय कोलोनी गांव घेर झालावाड़, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़ राज0

 2/4 सम्पत बाई पुत्री रामप्रसाद पत्नि किशन, जाति कहार, निवासी रामपुरिया, तहसील भानपुरा, जिला मन्दसौर मध्य प्रदेश

 2/5 सुशीला पुत्री रामप्रसाद पत्नि लेखराज, जाति कहार, निवासी ग्राम खेड़ी बोसर, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़ राज0

 2/6 शेतान बाई पुत्री रामप्रसाद पत्नि देशराज, जाति कहार, निवासी सोरसन, तहसील सांगोद, जिला कोटा राज0

 2/7 अनिता पुत्री रामप्रसाद पत्नि महावीर, जाति कहार, निवासी ग्राम खेड़ी बोसर, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़ राज0

 2/8 बजरंग पुत्र रामप्रसाद, जाति कहार, निवासी नौलाव, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़ राज0

.... अपीलांट

बनाम

1. कंवर लाल पुत्र नानूराम, जाति कहार, निवासी नौलाव, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़ (राज0) मृतक जर्ये कायम मुकामान :–

 1/1 गुड्डी बाई बेवा कंवर लाल

 1/2 प्रिया नाबालिक पुत्री कंवर लाल, बबिलायत गुड्डी बाई माता खुद

 1/3 रेणुका नाबालिक पुत्री कंवर लाल, बबिलायत गुड्डी बाई माता खुद

 1/4 राधिका नाबालिक पुत्री कंवर लाल, बबिलायत गुड्डी बाई माता खुद

 1/5 निधि नाबालिक पुत्री कंवर लाल, बबिलायत गुड्डी बाई माता खुद

 1/6 लक्की नाबालिक पुत्री कंवर लाल, बबिलायत गुड्डी बाई माता खुद

 1/7 चित्रांश नाबालिक पुत्र कंवर लाल, बबिलायत गुड्डी बाई माता खुद जातियान कहार, निवासीयान नौलाव, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़ (राज0)

2. राज मल पुत्र नानूराम, जाति कहार, निवासी नौलाव, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़ (राज0)
3. रवि नाबालिक पुत्र नानूराम जर्ये वली माता खुद हरकू बाई बेवा नानूराम, जाति कहार, निवासी नौलाव, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़ (राज0)
4. दुर्गी बाई पुत्री नानूराम, जाति कहार, निवासी मोठपुर, तहसील अटरू, जिला बारां (राज0)

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

5. अरविन्द पुत्र नानूराम, जाति कहार, निवासी नौलाव, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़ (राज0)
6. हरकू बाई बेवा नानूराम, जाति कहार, निवासी नौलाव, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़ (राज0)
7. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार झालरापाटन, जिला झालावाड़ (राज0)

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री बी.एल.माहेश्वरी एवं श्री तंवर सिंह झाला अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री सुरेन्द्र पंवार अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 2 व 5 की ओर से,
शेष रेस्पोडेंट अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक : **02.08.2024**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झालावाड के प्रकरण संख्या – 599/दावा/2010 निर्णय व डिक्री दिनांक 14.03.2018 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण अपीलांट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 91, 92ए, 183, 209, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम नौलाव, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड में खेवट सं. 21 जमाबंदी संवत 2062–2065 के अनुसार आराजी खसरा नं. 98 रकबा 0.19 हेक्टर, खसरा नं. 99 रकबा 0.01 हेक्टर, खसरा नं. 100 रकबा 0.12 हेक्टर, खसरा नं. 101 रकबा 0.04 हेक्टर, खसरा नं. 242 रकबा 0.07 हेक्टर, खसरा नं. 243 रकबा 0.24 हेक्टर, खसरा नं. 244 रकबा 3.84 हेक्टर, खसरा नं. 245 रकबा 0.20 हेक्टर, खसरा नं. 255 रकबा 0.28 हेक्टर, खसरा नं. 256 रकबा 0.04 हेक्टर, खसरा नं. 257 रकबा 1.08 हेक्टर, खसरा नं. 268 रकबा 0.44 हेक्टर, खसरा नं. 271 रकबा 0.13 हेक्टर, खसरा नं. 276 रकबा 1.66 हेक्टर कुल 14 किता कुल रकबा 8.34 हेक्टर आराजी स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झालावाड ने अपने निर्णय व डिकी दिनांक 14.03.2018 से वादीगण का वाद खारिज कर दिया, जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि मातहत न्यायालय का निर्णय एवं डिकी विधि विरूद्ध है पत्रावली पर आयी साक्ष्य के विरूद्ध है एवं अपास्त होने योग्य है। मातहत न्यायालय का निर्णय मनमाना है, परवर्स है, केप्रिसियस है एवं अपास्त होने योग्य है। मातहत न्यायालय ने अपने निर्णय में पत्रावली पर आयी दस्तावेजी साक्ष्य एवं शपथ पर दी गई साक्ष्य का कोई विवेचन नहीं किया एवं विधि विरूद्ध तनकी नं. 1 व 2 का निर्णय वादीगण के खिलाफ किया, जो अपास्त होने योग्य है। मातहत न्यायालय ने तनकी नं. 3 का निर्णय प्रतिवादीगण रेस्पोडेंट्स के पक्ष में विधि विरूद्ध किया है, जो रद्द होने योग्य है। तनकी नं. 4 का निर्णय उभयपक्षकारान वाद खर्च अपना अपना बर्दाश्त करेंगे। इस प्रकार किया तथा वादीगण का दावा खारिज फरमा दिया, जो काबिल गौर है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपीलांट

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

की अपील स्वीकार फरमायी जावे एवं मातहत न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.03.2018 अपास्त फरमायी जावे।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराया और अपील स्वीकार करने की प्रार्थना की।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने सही निर्णय पारित किया। अतः अपील खारिज की जावे।

हमने अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष की सुनवाई कर तनकीवार विस्तृत निर्णय पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षकारान को पर्याप्त साक्ष्य व सुनवाई का अवसर दिया गया।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में वादीगण अपीलांट के साक्ष्य जिरह का अवलोकन करने से प्रकट होता है कि दोनों अपीलांट यह स्वीकार करते हैं कि पन्नालाल–कंवरलाल वगैरहा साथ ही रहते थे तथा पन्ना ने अपनी मर्जी से जमीन कंवरलाल वगैरहा को दी थी तथा पन्ना के जीवनकाल से ही जमीन कंवरलाल वगैरहा हांक रहे थे।

वादिनी अपीलांट द्वारा यह कथन भी किया गया कि यह दावा मुझसे रामकल्याण ने करवाया है। रामकल्याण पुत्र फून्दीलाल का वाद सन् 2010 में खारिज हो चुका है।

अपीलांट की अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादीगण के पक्ष में स्वीकारोक्ति से अधिक कोई साक्ष्य नहीं हो सकती।

अपीलांट द्वारा अपील में कोई नया तथ्य पेश नहीं किया गया है। अपीलांट वादीगण की जिरह के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीवार पारित किया गया निर्णय विधिसम्मत व उचित प्रकट होने से अपील खारिज किया जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 14.03.2018 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

2/8/2024

(ममता कुमारी तिवारी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

डिक्री व सीगे अपील

Jud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix G'9)

अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा

ममता कुमारी तिवारी, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

1. श्रीमती नन्दू बाई पुत्री बसनी बाई एवं भाग चन्द पत्नि रामकरण, जाति कहार, निवासी नौलाव हाल मुकाम मण्डावर, तहसील झालरापाटन हाल असनावर, जिला झालावाड़ राज0
2. रामप्रसाद पुत्र बसनी बाई एवं भाग चन्द, जाति कहार, निवासी नौलाव, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़ राज0 मृतक

2/1 रामकन्या बाई पत्नि रामप्रसाद, जाति कहार, निवासी नौलाव, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़ राज0

2/2 नरेश पुत्र रामप्रसाद, जाति कहार, निवासी नौलाव, तहसील झालरापाटन,जिला झालावाड़ राज0

2/3 सुमित्रा पुत्री रामप्रसाद पत्नि रामचरण, जाति कहार, निवासी संजय कोलोनी गांव घेर झालावाड़, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़ राज0

2/4 सम्पत बाई पुत्री रामप्रसाद पत्नि किशन, जाति कहार, निवासी रामपुरिया, तहसील भानपुरा, जिला मन्दसौर मध्य प्रदेश

2/5 सुशीला पुत्री रामप्रसाद पत्नि लेखराज, जाति कहार, निवासी ग्राम खेड़ी बोसर, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़ राज0

2/6 शेतान बाई पुत्री रामप्रसाद पत्नि देशराज, जाति कहार, निवासी सोरसन,तहसील सांगोद, जिला कोटा राज0

2/7 अनिता पुत्री रामप्रसाद पत्नि महावीर, जाति कहार, निवासी ग्राम खेड़ी बोसर, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़ राज0

2/8 बजरंग पुत्र रामप्रसाद, जाति कहार, निवासी नौलाव, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़ राज0

......अपीलांट

बनाम

1. कंवर लाल पुत्र नानूराम, जाति कहार, निवासी नौलाव, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़ (राज0) मृतक जर्ये कायम मुकामान :–

1/1 गुड्डी बाई बेबा कंवर लाल

1/2 प्रिया नाबालिक पुत्री कंवर लाल, बबिलायत गुड्डी बाई माता खुद

1/3 रेणुका नाबालिक पुत्री कंवर लाल, बबिलायत गुड्डी बाई माता खुद

1/4 राधिका नाबालिक पुत्री कंवर लाल, बबिलायत गुड्डी बाई माता खुद

1/5 निधि नाबालिक पुत्री कंवर लाल, बबिलायत गुड्डी बाई माता खुद

1/6 लक्की नाबालिक पुत्री कंवर लाल, बबिलायत गुड्डी बाई माता खुद

1/7 चित्रांश नाबालिक पुत्र कंवर लाल, बबिलायत गुड्डी बाई माता खुद

जातियान कहार, निवासीयान नौलाव, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़ (राज0)

2. राज मल पुत्र नानूराम, जाति कहार, निवासी नौलाव, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़ (राज0)
3. रवि नाबालिक पुत्र नानूराम जर्ये वली माता खुद हरकू बाई बेवा नानूराम, जाति कहार, निवासी नौलाव, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़ (राज0)
4. दुर्गी बाई पुत्री नानूराम, जाति कहार, निवासी मोठपुर, तहसील अटरू, जिला बारां (राज0)
5. अरविन्द पुत्र नानूराम, जाति कहार, निवासी नौलाव, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़ (राज0)
6. हरकू बाई बेवा नानूराम, जाति कहार, निवासी नौलाव, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़ (राज0)
7. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार झालरापाटन, जिला झालावाड़ (राज0)

... रेस्पोडेंट

अपील नं. 2018/00118 व नाराजगी डिकी अदालत – **उपखण्ड अधिकारी, झालावाड**

मु.द.नं 599/दावा/2010 निर्णय एवं डिकी दिनांक – **14.03.2018**

दावा बाबत

माह अपील व तारीख **05** माह **07** सन् **2024**

हाजरी **श्री बी0एल0 माहेश्वरी एवं तंवर सिंह झाला** अभिभाषक मिनजानिब अपीलांट एवं श्री **सुरेन्द्र पंवार** अभिभाषक मिनजानिब रेस्पोडेंट नं0 2 व 5 की ओर से, शेष रेस्पोडेन्ट अनुपस्थित।

समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 14.03.2018 यथावत रखा जाता है।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख **31** माह **07** सन् **2024** को जारी किया गया ।

मोहर

31/7/2024

(ममता कुमारी तिवारी)
भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(राज0)